भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद

1. प्रकाशक/लेखक/पत्रिका संपादक ध्यान दें :–

केंद्रीय हिंदी निदेशालय देश के हिंदीतरभाषी राज्य/संघशासित राज्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को हिंदी पुस्तकों/पत्रिकाओं की निःशुल्क आपूर्ति करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्तरीय हिंदी पत्रिकाओं तथा मूल हिंदी पुस्तकों के साथ–साथ हिंदी में अनूदित पुस्तकों की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-2021 हेतु प्रकाशकों/लेखकों/ पत्रिका संपादकों से **परिशिष्ट–I** में **उल्लिखित विषयों/विधाओं** में हिंदी भाषा में प्रकाशित पुस्तकों/पत्रिकाओं के **नवीनतम सूचीपत्र** ई–मेल के माध्यम से आमंत्रित हैं।

नवीनतम सूचीपत्र भेजते समय प्रकाशक/लेखक/पत्रिका संपादक निम्नलिखित **शर्तों** का ध्यान रखें **यदि शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया तो आपकी पुस्तक/पत्रिका स्वीकार नहीं की जाएगी** :–

1. सूचीपत्र ई–मेल द्वारा ही ई–मेल पता **chd.distributiondelhi@gmail.com** पर स्वीकार किए जाएंगे।
2. सूचीपत्र में प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका का ISBN/ISSN का उल्लेख अवश्य हो तथा ISBN/ISSN के पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
3. ऐसी पुस्तकों की सूची ही भेजी जाए जो पिछले दो वर्षों (2018-2019) में प्रकाशित हुई हों और जिन्हें किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के अनुदान से प्रकाशित न किया गया हो।
4. यदि कोई प्रकाशक/लेखक/पत्रिका संपादक **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है तो अवश्य उल्लेख करें और अपने जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। इस वर्ग हेतु नियमानुसार पृथक् मद आरक्षित है।**
5. प्रस्तावित पुस्तकों/पत्रिकाओं के सूचीपत्र में निम्नलिखित **सूचनाएं टेबल प्रारूप में यूनीकोड में** टंकित करवा कर भेजें।
   - पुस्तक का शीर्षक
   - लेखक का नाम/अनुवादक का नाम
   - मूल अथवा अनुवाद
   - प्रकाशक का नाम व पता
   - प्रकाशन वर्ष तथा प्रथम संस्करण वर्ष
   - संस्करण वर्ष – प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का उल्लेख
   - विषय/विधा (कृपया **परिशिष्ट–I** देखें)
   - मुद्रित मूल्य

- पृष्ठ संख्या
- बट्टा/वर्तन (पत्रिका पर लागू नहीं)
- आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. (प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका हेतु)
- पत्र–व्यवहार का पता
- प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सूची पत्र में उल्लिखित पुस्तक निदेशालय द्वारा पहले नहीं खरीदी गई है और प्रस्तावक का यह अपना प्रकाशन है, संलग्न करें। पत्रिका के संदर्भ में उसका वार्षिक शुल्क, अवधि और पत्र–व्यवहार का पता लिखना अपेक्षित है।

सूचीपत्र भेजते समय प्रकाशकों/लेखकों/पत्रिका संपादकों द्वारा प्रस्तावित पुस्तकों/पत्रिकाओं के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान अपेक्षित है :–

(क). पुस्तक की विषय–वस्तु विवादास्पद न हो।

(ख). पिछले दो वर्षों की अवधि के भीतर प्रकाशित हो और निदेशालय द्वारा पहले इसकी खरीद न की गई हो। प्रकाशन वर्ष के संबंध में अंतिम निर्णय पुस्तक चयन समिति का होगा।

(ग). पुस्तक सरल और आसान हिंदी में लिखी गई हो किंतु पाठ्यवस्तु गुणवत्तापूर्ण हो।

(घ). आकर्षक और साफ–सुथरे रूप में मुद्रित हो।

(च). रुचिपूर्ण और शिक्षाप्रद हो।

(छ). प्रत्येक पुस्तक का वैध आई.एस.बी.एन. नंबर तथा पत्रिका का वैध आई.एस.एस.एन. नंबर हो। आई.एस.बी.एन. नंबर तथा आई.एस.एस.एन. नंबर न होने अथवा **गलत** होने पर ऐसी पुस्तकों/पत्रिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ज). किसी प्रकाशक/लेखक से संबंधित कोई सूचना या आंकड़ा जैसे **पैन नंबर, पंजीकरण संख्या आदि गलत पाए जाने** पर भी उसकी पुस्तकें/पत्रिका विचारणीय नहीं होंगीं।

(झ) पत्रिकाओं पर कोई छूट नहीं ली जाएगी। पत्रिका चुनी जाने पर पैकिंग, डाक व्यय आदि का खर्च स्वयं प्रकाशक को वहन करना होगा। साथ ही पत्रिका किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के अनुदान से प्रकाशित नहीं है, इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ट) पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर पुस्तक का नाम छपा हो।

(ठ) प्रकाशक/पत्रिका संपादक द्वारा प्रकाशन से संबंधित जी.एस.टी नंबर देना अनिवार्य है।

निदेशालय द्वारा प्राप्त सूचीपत्रों में से वांछित पुस्तकों/पत्रिकाओं को **चिहिनत** करके उनकी नमूना प्रति प्रकाशकों से आमंत्रित की जाएगी जिसके लिए निदेशालय द्वारा संबंधित प्रकाशक से पत्र–व्यवहार किया जाएगा। तत्पश्चात् **चिहिनत** पुस्तकों/पत्रिकाओं की प्राप्त नमूना प्रतियों पर क्रयार्थ चयन हेतु विचार किया जाएगा।

पुस्तकों/पत्रिकाओं के चयन/क्रय संबंधी अन्य शर्ते

- **प्रत्येक प्रकाशक से अधिकतम पंद्रह पुस्तकों की नमूना प्रति तथा लेखक से पॉच पुस्तक की नमूना प्रति ही विचारणीय होंगीं।** तथापि पुस्तकों की संख्या का निर्धारण पुस्तक चयन समिति के **विशेषाधिकार** में होगा।
- संतोषजनक वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष के लिए पत्रिकाओं से संबंधित प्रकाशक/लेखक/संपादक से इनकी खरीद जारी रखी जा सकती है।
- पुस्तकों/पत्रिकाओं पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होता है। हाथ से लिखे/चेपी या मुहर लगे मूल्य वाली पुस्तक/पत्रिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की खरीद पर 25 प्रतिशत छूट ली जाती है। सरकारी/पंजीकृत **ट्रस्ट**/समिति द्वारा गैर–लाभकारी तथा अल्पलाभकारी प्रकाशन अपवाद होंगे। पत्रिकाओं की खरीद पर छूट नहीं ली जाती।
- प्रकाशकों/लेखकों को अपनी क्रयार्थ स्वीकृत पुस्तकों/**पत्रिकाओं** की प्रतियों को निदेशालय तक पहुॅचाने संबंधी भाड़ा और पैकिंग खर्च आदि का वहन स्वयं करना होगा।
- स्वीकृत पत्रिकाओं को निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट पतों पर भेजने का डाकखर्च प्रकाशक/व्यवस्थापक को स्वयं वहन करना होगा तथा पत्रिकाओं के प्रेषण संबंधी प्रमाणपत्र भी निदेशालय को भेजना होगा।
- पुस्तकों की एक–एक प्रति तथा पत्रिका के नवीनतम दो अंक विचारार्थ प्राप्त होने चाहिए। इन नमूना प्रतियों को न चुने जाने की स्थिति में प्रकाशक/लेखक/संपादक को लौटाया नहीं जाएगा।
- ऐसी पुस्तकें ही विचारार्थ भेजी जाएॅ जो पिछले दो वर्षो 2018-2019 की अवधि के भीतर प्रकाशित हुई हों और जिन्हें किसी संस्थागत/सरकारी अनुदान से प्रकाशित न किया गया हो। कालजयी कृतियॉ और सांस्कृतिक विषयों से जुड़े प्रकाशन इसका अपवाद हो सकते हैं।

सूचीपत्र–प्राप्ति, पुस्तक/पत्रिका नमूना प्राप्ति, पुस्तक चयन एवं क्रय की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कोई भी विसंगति पाई जाने पर निदेशालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है–

(i) प्रकाशक द्वारा जी एस टी नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि तथा पुस्तकों के आई एस बी एन नंबर तथा पत्रिकाओं के आई एस एस एन नंबर अवैध पाए जाने पर तथा पुस्तक की प्रकाशन वर्ष संबंधी जानकारी असत्य पाए जाने पर पुस्तकें नमूना प्रति जमा कराते समय ही अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

(ii) प्रकाशक/लेखक को यह हिदायत भी दी जाती है कि पुस्तक की विषयवस्तु में किसी प्रकार का हेरफेर स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) पुस्तक चयन समिति द्वारा चयन के पश्चात् निदेशालय द्वारा क्रय हेतु मंगाई गई चयनित पुस्तकों की प्रतियों में किसी भी प्रकार की विसंगति, हेरफेर तथा स्तरहीनता पाए जाने पर प्रकाशक/लेखक की सभी पुस्तकों का चयन रद्द किया जा सकता है तथा

संबंधित प्रकाशक/लेखक को **संदिग्ध** सूची में शामिल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(iv) चयनित पुस्तक प्रतियों की आपूर्ति हेतु बिल का भुगतान प्रकाशक की स्थिति में फर्म के खाते में तथा लेखक की स्थिति में लेखक के खाते में ही किया जाएगा। चयनित पत्रिका की प्रतियों की आपूर्ति हेतु बिल का भुगतान गैर–सरकारी पत्रिका की स्थिति में संस्था/मुद्रक के खाते में किया जाएगा।

2. हिंदीतरभाषी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राजकीय विद्यालय के पुस्तकालय तथा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ/संगठन/सार्वजनिक पुस्तकालय कृपया ध्यान दें।

जो संस्थाएँ अपने पुस्तकालयों हेतु **परिशिष्ट–I** में उल्लिखित विषयों/विधाओं में से अपने जिन रुचिगत विषयों पर निशुल्क हिंदी पुस्तकें प्राप्त करना चाहते हैं, उन विषयों/विधाओं की सूची निदेशालय के ई–मेल पते पर अथवा पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाएं।

संस्था का नाम	पता, फोन नं., ई–मेल	रुचि के विषय/विधा

नोट – पुस्तकालय एवं संस्थाएँ छात्रों एवं शिक्षकों के साथ–साथ पाठकों के लिए उपयोगी हिंदी में उपलब्ध साहित्य में से भी **परिशिष्ट–I** के अतिरिक्त विषयगत रुचि से अवगत करा सकती हैं।

प्रकाशकों/लेखकों/पत्रिका संपादकों द्वारा सूचीपत्र भेजने तथा संस्थाओं द्वारा विषयगत रुचि संबंधी विवरण भेजने की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में **विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर है**। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त सूचीपत्र तथा विषयगत रुचि संबंधी विवरण पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

हमारा ई–मेल पता है – chd.distributiondelhi@gmail.com

परिशिष्ट–I

विषय/विधा की सूची :–

1. कथात्मक साहित्य – उपन्यास और कहानी
2. नाटक और काव्य
3. निबंध, रेखाचित्र और यात्रा–संस्मरण
4. महापुरुषों की जीवनी व आत्मकथा
5. लोकप्रिय विज्ञान और सामान्य ज्ञान
6. दर्शन और इतिहास
7. चरित्र निर्माण एवं प्रेरणावर्धक साहित्य
8. सांस्कृतिक विरासत
9. बाल साहित्य
10. वैदिक ज्ञान–विज्ञान
11. लोक जीवन और लोक साहित्य
12. विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग
13. तकनीकी और कौशल विकास
14. कोश एवं शब्दावलियाँ
15. आयुर्विज्ञान
16. आध्यात्म
17. योग एवं स्वास्थ्य
18. अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य प्रबंधन
19. नीति शास्त्र
20. समाजशास्त्र
21. भारतीय साहित्य और तुलनात्मक साहित्य
22. भारतीय भाषा और भाषाविज्ञान
23. मीडिया एवं जनसंचार
24. हिंदी का कालजयी साहित्य
25. खेलकूद
26. शिक्षण अधिगम
27. पर्यावरण कृषि एवं वन्य जीव
28. प्रवासी और अस्मितामूलक साहित्य
29. प्रयोजनमूलक हिंदी
30. विधि एवं न्याय
31. निजी एवं सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित नियमित पत्रिकाएँ